

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत धरासू-चिन्वालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 2.85 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.655 है०)।

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह मार्ग किसी मोटर मार्ग का विस्तार नहीं है। यह एक नया मोटर मार्ग है।

सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

अधिशाली अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम प्रधानता द्वारा दिनांक 22/11/2016 को ग्राम सभा/ग्राम प्रधानता की बैठक में प्रयोज्यता एजेन्सी द्वारा अधिष्टित वन भूमि के अन्तर्गत अग्रिम प्रमाण पत्र निर्मित करने हेतु विस्तृत भूमि की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 की प्रावधानों के तहत अधिष्टित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/भूमि कार्य है अथवा नहीं। * सम्बन्धित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्मर किया गयी कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/भूमि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु अधिष्टित वन भूमि पर ग्रामवासियों के सम्पत्तागत अधिकारों का हानि नहीं हो रहा है।

यहाँ के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा अनुमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में अग्रिम प्रमाण पत्र एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा रहा एवं गयी है।

ह०/-
ग्राम सचिव

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो उदरगार/अथवा वितरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र अग्रिमता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाता है।